संख्याः 143 /XV-1/16/ 1(10)/15

प्रेषक,

दमयन्ती दोहरे,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 20 फरवरी, 2016

विषयः **वर्ष 2013 में केदारनाथ मे आयी प्राकृतिक आपदा से विधवा हुई महिलाओं को गाय वितरण योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त करने विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3266/नि०–5/एक(40)/केदार.आपदा/2015–16 दिनांक 17 नवम्बर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में केदारनाथ आपदा 2013 में विधवा हुई महिलाओं को गाय वितरण योजनान्तर्गत प्रथम नई मांग के माध्यम से आय–व्ययक में प्रावधानित धनराशि **₹ 100.00 लाख (₹ एक करोड़) के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में 166 इकाईयों की स्थापना/वितरण हेतु रू 99.60 लाख** की धनराशि की अग्रिम आहरण की स्वीकृति सहित व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्न विवरणानुसार प्रदिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:–

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	योजना का नाम	प्रति इकाई पशु	प्रति इकाई लागत	कुल इकाईयां	कुल आवंटित धनराशि
1	दुधारू गाय का वितरण	01	0.40		
2	परिवहन, 03 वर्ष का बीमा, माह का आहार लगभग 100 कि०ग्रा० तथा 01 माह हेतु काम्पैक्ट फीड ब्लॉक लगभग (24 किग्रा० X 15 बैग)		0.20	166	99.60
योग			0.60		99.60

2. केदारनाथ मे वर्ष 2013 में आयी प्राकृतिक आपदा से विधवा हुई महिलाओं को गाय वितरण योजना के संचालन हेतु लाभार्थी चयन प्रक्रिया तथा अनुदान दिये जाने हेतु शासनादेश संख्या–134/XV-1/16/1(10)/15 दिनांक19 फरवरी 2016 द्वारा निर्धारित प्रावधान/दिशा–निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. धनराशि का उपयोग करने के उपरान्त व्यय का विवरण तथा लाभान्वितों की संख्या ग्रामवार/विकासखण्डवार/जनपदवार संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

6. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

7. धनराशि को व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाय, धनराशि का आहरण एवं व्यय आवयकतानुसार ही किया जाय।

8. स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका स्टोर परचेज रूल्स डी०जी०एस० एण्ड डी० की दरें टैण्डर/कोटेशन विषयक नियम एवं मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, जहाँ कहीं आवश्यक हो तो धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष 2015–16 में किया जाय।

10. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन आयोजनागत–00–106–अन्य पशुधन विकास–12–केदारनाथ आपदा 2013 में विधवा हुई महिलाओं को गाय वितरण योजना के 42–अन्य व्यय के सुसंगत मानक मद के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–149(P)/XXVII(4)/2016 दिनांक 19 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(दमयन्ती दोहरे)
प्रभारी सचिव

संख्याः 143 (1) / XV-1/ 2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल,पौड़ी, उत्तराखण्ड।
3. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य विकास अधिकारी,रूद्रप्रयाग।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
7. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय देहरादून।
10. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार सिंह)
अनु सचिव